फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/6/2020	उभय पक्ष को समझाईश की गई और मामला राजीनामा से निपटान हेतु प्रेरित किया। उभय पक्ष लोक अदालत की भावना से प्रेरित हुए और राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल कर लिया। उभय पक्ष को रास्ते की आवश्यकता है। जो परस्पर ख.नं० 273 एवं 264 में वांछित है। ख.नं. 273 के खातेदार भी ख.नं. 264 में से अपने खेत ख.नं० 265 में जाने-आने हेतु रास्ता और पाईप-लाईन डालना चाहते है, इसी बिंदु को लेकर विवाद हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से रेस्पो० सं० 1 (प्रार्थी) को तो रास्ता दिये जाने हेतु आदेश कर दिये गए परन्तु अपीलांट पक्ष के प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लंबित रख दिये गए, इसलिए मामला और विवादग्रस्त हो गया। उभय पक्ष को रास्ते की महत्ती आवश्यकता है और प्रस्तुत राजीनामे के साथ संलग्न नकशा किश्तवार में दर्शाए रास्ते A से B तथा B से C तक निकटतम और लघुतम दूरी वाले सुविधाजनक भी हैं और मुताबिक नियम है। दोनो पक्ष राजीनामा के अनुसार एक-दूसरे को रास्ता / रास्ता मय पाईप-लाईन देने हेतु सहमत हो गए है लिहाजा उभय पक्ष में विद्यमान विवाद का शमन हो गया है। मुताबिक राजीनामा एवं उसके संलग्न प्रस्तुत नक्शा में दर्शित दोनो रास्तों/ पाईपलाईन हेतु भूमि रास्ते के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है। रास्तों के अंतर्गत आने वाली उभय पक्ष की भूमि का प्रतिकर कोई भी पक्ष लेने हेतु मंशा नही रखता अर्थात अपनी-2 रास्ते मे जाने वाली भूमि का एक-दूसरे से कोई मुआवजा नहीं लेंगे। भूमि प्रतिकर संबंधी कोई लेन-देन नही होगा। रास्तो की चौड़ाई भी राजीनामा एवं सहमति से क्रमशः ख.नं० 273 मे A से B 30 फीट तथा ख.नं० 264 में B से C तक 15 फीट निश्चित की गई है। ख.नं० 264 में प्रदत्त 15 फीट रास्ते की भूमि में ही भूमिगत पाईप लाईन डाली जाकर इसी का उपयोग रास्ते के रूप में [signature] P.T.O राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9/6/2020

प्रस्तुत राजीनामा का मुख्य मजमून इस प्रकार है:-

"विचाराधीन अपील बाबूराम बनाम गोरधनराम में ख॰नं॰ 273 व 265 के खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेंट सं॰2 से 6 है तथा ख॰नं॰ 264 के खातेदार रेस्पोडेंट संख्या एक है। रास्ते में जाने वाली भूमि की राशि का लेन देन नहीं होगा। यह कि ख॰नं॰ 273 में से 30 फुट चौड़ाई का एक रास्ता व इस रास्ते के बाद ख॰नं॰ 264 में से ख॰नं॰ 265 में पहुंचने हेतु 15 फीट चौड़ाई का रास्ता व इस 15 फुट चौड़ाई रास्ते में भूमिगत पाईप लाईन अपीलांट व रेस्पोडेंट सं॰ 2 से 6 निकलवायेंगे जिसमें रेस्पोडेंट सहमत है। यह कि दोनो पक्षकारान आज से 10 दिन के भीतर उक्त ख॰नं॰ 273 में गुजरने वाला 30 फुट चौड़ा रास्ता व ख॰नं॰ 264 में 15 फुट चौड़ा रास्ता व पाईप लाईन हेतु रखा गया भू-भाग खाली कर देंगे। राजीनामे के साथ नक्शा किश्तवार में रास्ता ए, बी भाग ख॰नं॰ 273 में 30 फुट चौड़ा रास्ता है व भाग 'बी' से 'सी' 15 फुट-चौड़ाई वाला रास्ता है व इस नक्शे अनुसार कार्यवाही करने हेतु दोनो पक्षकार सहमत है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार राजीनामा स्वीकार फरमावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।"

अपील का सार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट सं॰1 गोरधनराम ने न्यायालय सहायक कलक्टर बावडी के यहां RT Act की धारा 251 'क' के तहत प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने खेत ख॰नं॰ 264/1 व 264 ग्राम नांदिया कुर्द में आने जाने हेतु अपीलार्थी के खेत ख॰नं॰ 273 में से रास्ता चाहा जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर 15 फीट चौड़ा रास्ता अपीलार्थी के खेत ख॰नं॰ 273 में देते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया और अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील पेश की। इसके पूर्व मामले में केविएट प्रार्थना-पत्र भी न्यायालय द्वारा में गोरधनराम की तरफ से प्रस्तुत की गई। [signature]

राजस्व अपील प्राधि[illegible]
जोधपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/6/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी मय अपीलार्थी बाबूराम उपस्थित। रेस्पो. सं० 1 गोरधनराम एवं उनके वकील उपस्थित। रेस्पोडेंट नं०3 मगाराम स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ता एवं उपस्थित पक्षकारान ने प्रकरण में बाद समझाईश राजीनामा लिखित में तहरीर कर पेश किया जिसे पढ़कर समझाया जाने पर उपस्थित पक्षकार एवं उनके अधिवक्तागण ने सही-सही होना स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर किये। पक्षकार की शिनाख्त उनके-2 अधिवक्ता ने की। राजीनामा संलग्न पत्रावली किया गया। शेष रेस्पोडेंट उपस्थित नहीं हैं जिनके बारे में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत राजीनामा से वे भी सहमत हैं। उनकी उपस्थिति को उनके प्लीडर उपस्थित नहीं हैं न ही इन्हे नोटिस जारी हुए हैं। लिहाजा उनका भी मामले में पक्ष सुना जाना जरूरी है। शेष रेस्पो० के बारे में अवगत कराया कि कल उपस्थित हो जाएंगे या उनकी ओर से प्लीडर उपस्थित होकर वकालतनामा पेश करेंगे अतः पत्रावली दिनांक 9/6/2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
9/6/2020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। रेस्पो नं. 4 व 5 स्वयं उपस्थित जिनकी शिनाख्त इनके I.D proof आधार नंबरों से की गई। रेस्पो सं० 2 व 6 की ओर से वकील श्री सूर्यप्रकाश ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित रेस्पो० व उनके अधिवक्ता को प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन कराया, पढ़कर सुनाया। सभी ने सही होना स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर किये। उभय पक्ष द्वारा मुताबिक राजीनामा मामले का निस्तारण लोक अदालत की भावना के अनुरूप करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की सहमति के मद्देनजर राजीनामा स्वीकार कर तस्दीक किया जाकर तदनुरूप निर्णय किया जाना उचित है। [हस्ताक्षर]	

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पहचानकर्ता अपीलार्थी रामनिवास (वकील अपीलार्थी)

बाबूराम

गोरधनराम

पहिचानकर्ता [illegible] (वकील रेस्पो. नं. 1)

मगाराम

- अमाराम (Res No. 4) (ADHAR-277004053458) -

- टिकेराम (Res No 5) (आधार नं. 922662704262) -

Prakash

रेस्पो. 2 व 6 की तरफ से सूर्यप्रकाश अधिवक्ता

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता रहेगा।	

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नक्शा किश्तवार (परिशिष्ट "क") स्वीकार कर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में प्रदत्त रास्ते की चौड़ाई 15 फीट की जगह 30 फीट संशोधित किया जाता है साथ ही अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ख·नं० 265 में आने-जाने एवं इसी में से पाईप लाईन डालने हेतु नक्शे में दर्शित B से C तक 15 फीट चौड़ा रास्ता ख·नं० 264 में से प्रदत्त किया जाता है, इसी 15 फीट रास्ते की भूमि में अपीलांट पक्ष भूमिगत पाईप लाईन डाल सकेगा। दोनो रास्तों की भूमि का रकबा प्रदत्त चौड़ाई रखते हुए आकलन कर राजकीय भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार बावड़ी को आदेशित किया जाता है। रास्तों के लिए प्रदत्त भूमि का कोई भी पक्ष मुआवजा नहीं लेगा अर्थात् भूमि की प्रतिकर राशि का परस्पर पक्षकारों में भुगतान नहीं होगा। परिशिष्ट "क" इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दि· 9/6/2020 को सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार बावड़ी को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

9/6/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ी-26 (सी)
म 153 ए)

9) से

टिप्पणी

रहनमुक्त

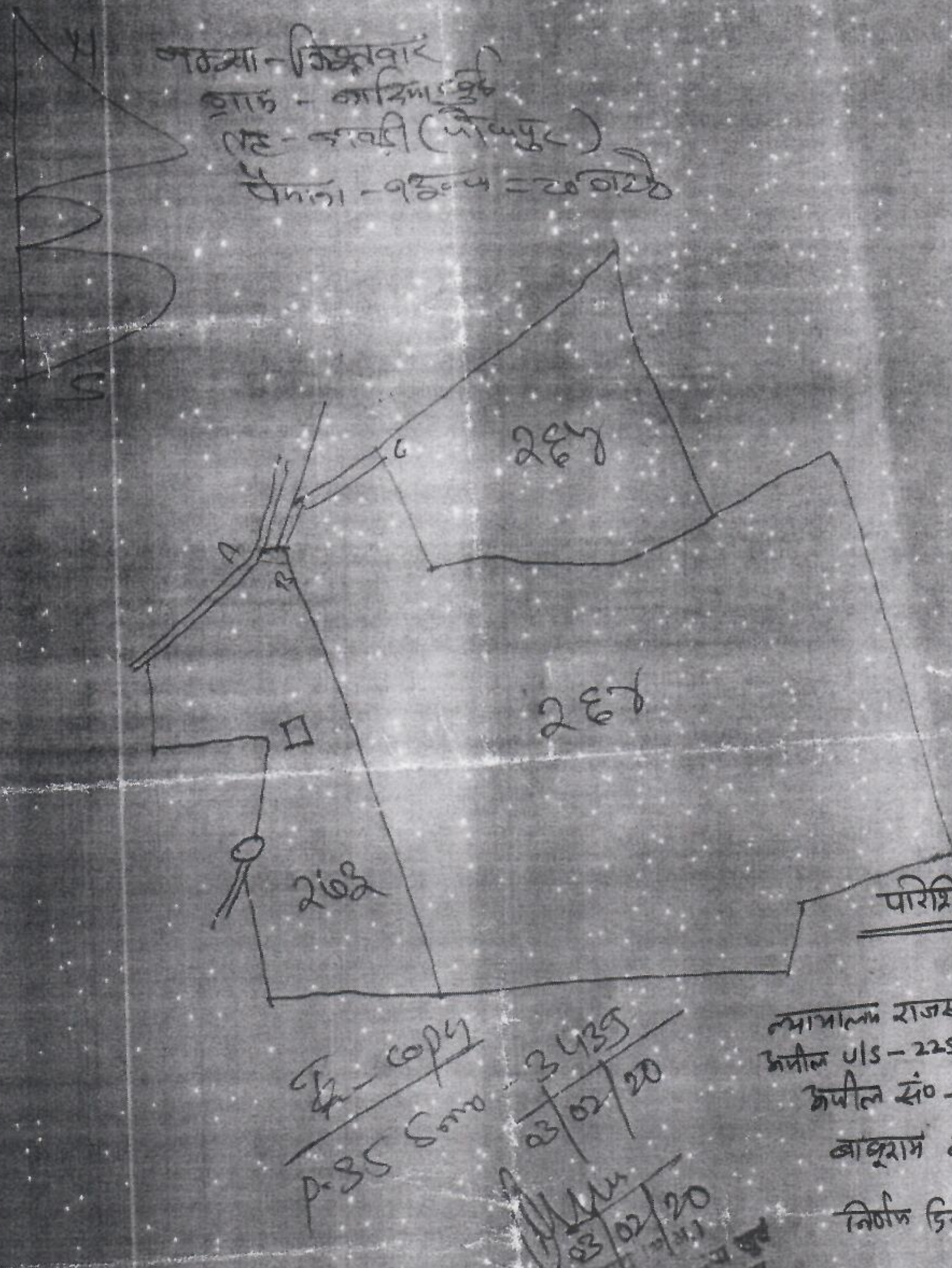

परिशिष्ट "क"

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
अपील U/S - 225 RTAct
अपील सं० - 55/2020
बाबूराम बनाम गोरधनराम वगैरह
निर्णय दिनांक : 9/6/2020

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2020.06.16 14:08:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: